Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SANGANER I
SANGANER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2006067009122	Date		29/12/2006	
Presenter Name	SUNDER	Document S. No		2006067008779	
Presenter/Property Address	MAHAPURASANGANER JAIPUR				
Document Type	Gift Deed(Wife,Moth.,Sis.,Daug.-in-law,Broth.,son,G.son,fath.,husband)				
Claiment Name	RAMPHOOL CHAUDHARY(DIRECOTOR SUNDER PUBLICK SHCOOL SAMITI AJMER ROAD MAHAPURA			Payment Mode	Cash
Face Value	0	Evaluated Value	2677500	Stamp Value	500

Ord- registration fee	25000	commssion	0
csi_more_50000	200	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	133380	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	158580

One Lakh Fifty Eight Thousand Five Hundred Eighty Only

Cashier

Sub Registrar SANGANER I

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDI RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

465841

28 DEC 2006

SUB-REGISTRAR, SANGANER, JAIPUR

:: दान–पत्र ::

मैं कि– सुन्दर पुत्र श्री नारायण जाति जाट आयु 100 साल निवासी ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त का रहने वाला हूँ। तथा इस लेख्यपत्र में प्रथमपक्षकार " दानकर्ता " शब्द से सम्बोधित किया गया है एवम सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति,अजमेर रोड महापुरा जरिये सचिव श्री रामफूल चौधरी पुत्र श्री प्रभातीलाल जाट जाति जाट आयु 27 साल निवासी ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त को इस लेख्यपत्र में द्वितीयपक्षकार दानग्रहिता शब्द से सम्बोधित किया गया है, के मध्य लेख्य किया गया है।

उप पंजीयक
सांगानेर जयपुर

5818
संख्या दिनांक 20/12/06

क्रेता का नाम त्रिलोक

पिता का नाम नारायण जाट

निवासी महापुरा (सांगानेर)

मुद्रांक मूल्य 500

प्रसाद चौधरी
स्टाम्प विक्रेता तहसील सांगानेर, जयपुर

उप पंजीयक, सांगानेर, जयपुर • SUB-REGISTRAR, SANGANER, JAIPUR
पंजीयन–विभाग

जो कि ग्राम महापुरा पटवार हल्का महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त में कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 1100 रकबा 0.75 हैक्टयर में हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी प्रथमपक्ष के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित है, स्थित है, इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रथमपक्ष बिना किसी सीर व साझे के एक मात्र मालिक व स्वामी काबिज है, जिसको हर प्रकार से विक्रय हस्तान्तरित, दान, पुण्य, बख्शीश आदि करने के अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

अतएव प्रथमपक्ष ने अपनी स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्दि के अवस्था में बिना किसी दबाव या आग्रह के उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 1100 रकबा 0.75 हैक्टयर में हिस्सा 1/2 का 2550/3750 भाग पक्की संपूर्ण को समस्त मालिकाना हक अधिकारो सहित द्वितीयपक्ष के हित में दान के रूप में दे दिया है, अर्थात बख्शीश कर दिया है, अब दान की गई उक्त भूमि पर प्रथमपक्ष दानकर्ता का किसी प्रकार का हक अधिकार नही रहा है, तथा ना ही आगे भविष्य मे रहेगा।

यह कि दान की गई सम्पति को द्वितीयपक्ष दानग्रहिता नें स्वीकार कर लिया है। तथा दान मे दी गई सम्पति प्रथमपक्ष स्वंय की स्वंअर्जित सम्पति है। उक्त दान पत्र अपने पोते को किया गया है।

आज दिनांक 29 माह दिसम्बर सन् 2006 को 01:40 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNDER पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARYAN
उम्र 100 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय BUSINESS
निवासी MAHAPURA SANGANER JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2006067008779)

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
SANGANER I

(Gift Deed(Wife,Moth.,Sis.,Daug.-in-law,Broth.,son,G.son,fath.,husband))

रसीद नं0	[2006067009122]
दिनांक	[29-12-2006]
पंजीयन शुल्क रू0	25000
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	200
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	133380
कुल योग रू0	158580

(2006067008779) उपपंजीयक,SANGANER I

((Gift Deed(Wife,Moth.,Sis.,Daug.-in-law,Broth.,son,G.son,fath.,husband)))

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1-SUNDER / NARYAN
उम्र - 100, वर्ष, जाति-JAT व्यवसाय - BUSINESS
निवासी -MAHAPURA, SANGANER, JAIPUR

(And Claiment)
1-RAMPHOOL CHAUDHARY(DIRECOTOR SUNDER PUBLICK SHCOOL SAMITI AJMER ROAD MAHAPURA / PRABHATI LAL JAT
उम्र - 27, वर्ष, जाति-JAT व्यवसाय - BUSINESS
निवासी -MAHAPURA SANGANER JAIPUR

ने लेख्यपत्र को पढ़ सुन व समझकर नि पादन करना स्वीकार किया। उक्त नि पादन कर्ता की पहचान

1 श्री/श्रीमती/सुश्री PRABHATI LAL
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUNDER
उम्र 62 वर्ष f जाति JAT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी MAHAPURA, SANGNAER, JAIPUR

2 श्री/श्रीमती/सुश्री PHOOL CHAND
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHATI LAL
उम्र 35 वर्ष f जाति JAT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी MAHAPURA, SANGNAER, JAIPUR

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

यह कि दान की गई सम्पति आज तक प्रत्येक प्रकार के झगडो, टंटा, वाद विवाद आदि से पूर्णत्या मुक्त व पाक है, तथा इसमें प्रथमपक्षकार के अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नही है।

यह कि दान की गई कृषि भूमि बिना प्रतिफल के प्रथमपक्ष अपनी स्वेच्छा से द्वितीयपक्ष के हित मे दान के रूप में दे दिया है।

यह कि द्वितीयपक्ष एक एजूकेशनल सोसायटी है, जिसका उद्वेश्य शिक्षा को बढावा देना है।

यह कि दान की गई सम्पति का नामान्तकरण द्वितीयपक्ष अपने हित में इस लेख्यपत्र के आधार पर करवा लेवे,अगर इसमें प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरो बयानो आदि की किसी भी विभाग में जरूरत होगी तो प्रथमपक्ष देने के लिए वचनबद्व रहेगा।

यह कि दान की गई कृषि भूमि का उपयोग वाणिज्यिक के रूप में किया जावेगा।

यह कि दान की गई कृषि भूमि महापुरा से कलवाडा रोड से करीबन 100 मीटर दूर है तथा इसमें किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही है,खाली है,तथा इसकी मालियत 26,77,569/- रूपये से अधिक नही है। तथा खर्चा द्वितीयपक्ष दानग्रहिता ने वहन किया है।

22

endorsement presenter

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र

की मालियत रूपये 2677500

मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक

राशि 133380 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 25000 कुल रूपये 158380 जरिये रसीद संख्या [2006067009122]

दिनांक [29-12-2006] में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रूपये 133880

के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2006067008779) उप पंजीयक, SANGANER I

(Gift Deed(Wife,Moth.,Sis.,Daug.-in-law,Broth.,son,G.son,fath.,husband))

आज दिनांक 29/12/2006 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 536

में पृष्ठ संख्या 163 क्रम संख्या 2006067005377पर

पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1751

के पृष्ठ संख्या 110 से 116

पर चस्पा किया गया।

(2006067008779) उप पंजीयक, SANGANER I

Gift Deed(Wife,Moth.,Sis.,Daug.-in-law,Broth.,son,G.son,fath.,husband)

अतएव यह दानपत्र प्रथमपक्ष ने राजी खुशी होस हवास में बिना किसी अन्य के दबाव या आग्रह के एक मुद्राक कीमति 500/– रूपया व तीन पेपर पर लेख्य कर दिया है जिसको पढकर सुनकर समझकर सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निशानी निम्न गवाह के समक्ष कर दिये है सो प्रमाण रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे इति लेख्य दिनांक २१/12/06

रामफूल
हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष दानग्रहिता

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष दानकर्ता

प्रभात

गवाह प्रभातीलाल पुत्र श्री सुन्दर जाति जाट उम्र 62 साल निवासी महापुरा तहसील सांगानेर

फूलचन्द

गवाह फूलचन्द S/o श्री प्रभातीलाल आयु 35 साल जाति जाट नि महापुरा सांगानेर

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

(23)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

B 978152

16 JUN 2007

NOTARY
Anil Kumar Jain
JAIPUR
(Raj.)
Regd. No.
2731
GOVT. OF INDIA

:: उपहार पत्र (दान पत्र)::

मैं कि– श्री सुन्दर पुत्र श्री नारायण जाट उम्र 101 वर्ष जाति जाट निवासी महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त का रहने वाला हूँ। तथा इस लेख्यपत्र में प्रथमपक्षकार " उपहारकर्ता "(दानकर्ता) शब्द से सम्बोधित किया गया है एवम सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति जरिए सचिव रामफूल चौधरी पुत्र श्री प्रभातीलाल जाट निवासी महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त को इस लेख्यपत्र में द्वितीयपक्षकार उपहारग्रहिता (दान गृहिता)शब्द से सम्बोधित किया गया है, के मध्य लेख्य किया गया है।

नि सुन्दर

Attested
16/7/07
Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)

V3

जो कि ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में निर्मित भवन जिसमें 14 हॉल ,लेटरिंब बाथरूम मय बाण्उण्डरी लोन सहित है ।

इस प्रकार उक्त वर्णित सम्पति पर प्रथमपक्ष बिना किसी सीर व साझे के एक मात्र मालिक व स्वामी काबिज है, जिसको हर प्रकार से विकय हस्तान्तरित, दान, पुण्य, बख्शीश आदि करने के अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

अतएव प्रथमपक्ष ने अपनी स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्वि के अवस्था में बिना किसी दबाव या आग्रह के **उक्त वर्णित 14 हॉल,लेटरिंग बाथरूम ,मय बाउण्डरी मय छत सहित संपूर्ण को** द्वितीयपक्ष के हित में उपहार (दान गृहिता)स्वरूप दे दिया है, अर्थात बख्शीश कर दिया है, अब उपहार दिया गया उक्त वर्णित सम्पति पर प्रथमपक्ष दानकर्ता का किसी प्रकार का हक अधिकार नही रहा है, तथा ना ही आगे भविष्य मे रहेगा।

यह कि उपहार की गई सम्पति को द्वितीयपक्ष उपहारग्रहिता नें स्वीकार कर लिया है।

यह कि दान की गई सम्पति आज तक प्रत्येक प्रकार के झगडो, टंटा, वाद विवाद आदि से पूर्णत्या मुक्त व पाक है, तथा इसमें प्रथमपक्षकार के अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नही है।

यह कि उपहार की गई सम्पति बिना प्रतिफल के प्रथमपक्ष ने अपनी स्वेच्छा से द्वितीयपक्ष के हित मे उपहार स्वरूप में दे दिया है।

यह कि उपहार मे दी गई सम्पति को द्वितीयपक्ष अपने नाम से समिति/ जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से आवंटनपत्र अपने नाम से प्राप्त करे, टान्सफर आदि करवावे, किसी अन्य के हक में विकय करे, अपने नाम से जल व बिजली कनेक्शन प्राप्त करे, टान्सफर करावे, अगर इसमें प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरो बयानो आदि की किसी भी विभाग में जरूरत होगी तो प्रथमपक्ष देने के लिए वचनबद्व रहेगा।

Attested 2/7/07
Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)

NOTARY
Anil Kumar Jain
JAIPUR
(Raj.)
Regd. No.
2731
GOVT. OF INDIA

यह कि दान की गई सम्पति का कब्जा मौके पर द्वितीयपक्ष का करवा दिया गया है। तथा दान की गई सम्पति के समस्त मालिकाना हक अधिकार मेरे समान द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये है।

अतएव यह उपहारपत्र प्रथमपक्ष ने राजी खुशी होस हवास में बिना किसी अन्य के दबाव या आग्रह के एक मुद्राक कीमती 100 /—रूपया व दो पेपर पर लेख कर दिया है जिसको पढकर सुनकर समझकर सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निशानी निम्न गवाह के समक्ष कर दिये है सो प्रमाण रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे इति लेख दिनांक

Attested 2/7/07
Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)

सचिव
सुन्दर ... समिति
महापुरा, जयपुर

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष उपहारग्रहिता

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष उपहारकर्ता

गवाह नाम .... पिता का नाम .... उम्र ...... वर्ष
जाति .... पता .... ग्राम ... महापुरा तह० सांगानेर जयपुर

Identified by:-

गवाह नाम .... पिता का नाम .... उम्र 35 वर्ष
जाति .... पता ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर

Attested 2/7/07
Anil Kumar Jain
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

B 353954

19 DEC 2006

::शुद्धि–पत्र (संशोधन पत्र)::

मैं कि– सुन्दर पुत्र श्री कल्याण जाति जाट आयु 100 वर्ष निवासी– ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त का रहने वाला हूँ।

जो कि ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त में आराजी खसरा नंबर 1100 रकबा 0.75 हैक्टयर में हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी मेरे नाम से दर्ज राजस्व रेकार्ड में अंकित है, स्थित है।

सुन्दर

रामफूल

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

16

::2::

यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 1100 रकबा 0.75 हैक्टयर में हिस्सा 1/2 भाग में से 2550/3750 भाग को मेरे द्वारा जरिये दान पत्र द्वारा सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति, अजमेर रोड महापुरा जरिये सचिव रामफूल चौधरी पुत्र श्री प्रभातीलाल जाट जाति जाट आयु 27 वर्ष निवासी– ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के हक में दान कर दिया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगानेर प्रथम के यहां दिनांक 29.12.2006 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 536 में पृष्ठ संख्या 163 कम संख्या 2006067005377 पर पंजीबद्व किया गया एवम अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1751 के पृष्ठ संख्या 110 से 116 पर चस्पा किया गया है।

यह कि उक्त दानपत्र में सहवन से " उक्त दान पत्र अपने पोते को किया गया है" जो कि गलत है। जबकी उक्त दान पत्र मेरे द्वारा सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति, अजमेर रोड महापुरा जरिये सचिव रामफूल चौधरी पुत्र श्री प्रभातीलाल जाट जाति जाट आयु 27 वर्ष निवासी– ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के हक में किया गया है।

यह कि उक्त दान पत्र में " उक्त दान पत्र अपने पोते को किया गया है" के स्थान पर सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति, अजमेर रोड महापुरा जरिये सचिव रामफूल चौधरी पुत्र श्री प्रभातीलाल चौधरी निवासी– ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर सही पढा व समझा जावे।

यह कि उक्त शुद्वी पत्र को दानपत्र का अभिन्न अंग माना जाकर पढा व समझा जावे।

रामफूल

मुन्दर

(17)

आज दिनांक 4 माह जनवरी सन् 2007 को 12:36 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUNDER पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KALYAN
उम्र 100 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय BUSINESS
निवासी MAHAPURA SANGANER JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता — हस्ताक्षर उप पंजीयक,
(2007067000073) — SANGANER I
(Supplementary deed/Correction Deed)

रसीद नं0	[2007067000076]
दिनांक	[4-1-2007]
पंजीयन शुल्क रू0	150
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	100
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	40170
कुल योग रू0	40420

(2007067000073) उपपंजीयक,SANGANER I
((Supplementary deed/Correction Deed))

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) — Signature — Photo — Thumb
1 -SUNDER / KALYAN
उम्र -100 वर्ष जाति - JAT, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - MAHAPURA SANGANER JAIPUR

(And Claiment)
1 -RAMPHAOOL CHUDHARY(SACHIV SUNDER PUBLIC SCHOOL SAMITI AJMER ROAD MAHAPURA / PRABHATI LAL JAT
उम्र -27 वर्ष जाति - JAT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -MAHAPURA SANGANER JAIPUR

ने लेख्यपत्र Supplementary deed/Correction Deed को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 ________ पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू0__________ पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री PRABHATI LAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री SUNDER LAL
उम्र -70 वर्ष जाति-JAT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी MAHAPURA,SANGANER, JAIPUR

प्रभात

2- श्री/श्रीमती/सुश्री RAM PRASAD
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAM NARYAN
उम्र -28 वर्ष जाति-JAT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी MADRAMPURA,SANGNAER, JAIPUR

अतएव यह शुद्विपत्र मेने अपनी राजी खुशी होश हवास में बिना किसी अन्य के दबाव या आग्रंह के एक मुद्रांक कीमति 100 रूपया व दो पेपर पर लेंख्य कर दिया सो सही है तथा इसको पढकर सुनकर समझकर सही स्वीकार करअपने हस्ताक्षर निशानी निम्न गवहान के समक्ष कर दिये सो प्रमाण रहे तथा आवश्यकता के समय काम आवे इति लेख्य दिनांक

रामफूल

रामफूल

ह0 द्वितीयपक्ष

ह0शुद्विकर्ता

प्रभात

गवाह– प्रभातीलाल पुत्र कुन्दन लाल उम्र 70 वर्ष

नि0 मलपुरा

गवाह– रामप्रसाद पुत्र रामनारायण जाति [illegible] 28

नि. सांगानेर

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

endorsement presenter

(2007067000073) उप पंजीयक, SANGANER II

Supplementary deed/Correction Deed

आज दिनांक 4/1/2007 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 538

में पृष्ठ संख्या 46 क्रम संख्या 2007067000046पर

पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1753

के पृष्ठ संख्या 403 से 408

पर चस्पा किया गया।

(2007067000073) उप पंजीयक, SANGANER I

Supplementary deed/Correction Deed

भारतीय गैर न्यायिक

भारत IND

रु. 500

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIA

V.K. SINDHI Reg.No.-846 Exp.Dt.-24/06/2018 Sanganer Jaipur Govt. of Rajasthan

1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)- 0% रुपये 50
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख)- 10% रुपये 50
कुल योग 100
हस्ताक्षर स्टाम्प वेन्डर

राजस्थान RAJASTHAN

18 MAY 2017

राजस्थान

D 841751

Reg.Sr.No.: 159
Page No. 16
Date 5-6-17

-: लीज प्रपत्र :-

यह दस्तावेज लीज प्रपत्र आज दिनांक 5... जून सन् 2017 ईस्वी को: **श्री प्रभातीलाल** उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री सुन्दर जाति जाट निवासी ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, जिसे इस दस्तावेज **लीज प्रपत्र** में '**प्रथमपक्ष**' (**मालिक सम्पत्ति**) शब्द से सम्बोधित है, जिसमें प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक के सभी वारिसान्, दायभागी, स्थानापन्न एवं उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित समझे जावेगे **बहक सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति** पंजीकृत कार्यालय ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जरिये सचिव: **श्री रामफूल चौधरी** उम्र 39 वर्ष पुत्र श्री प्रभातीलाल चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, जिसे इस दस्तावेज **लीज प्रपत्र** में '**द्वितीयपक्ष**' (**किरायेदार**) शब्द से सम्बोधित है, जिसमें द्वितीयपक्ष किरायेदार के सभी वारिसान्, पदाधिकारी, अधिकारधारी, कर्मचारीगण, हितबद्ध व्यक्ति आदि सम्मिलित है, के मध्य लेख्य किया गया है।

क्रमशः...

ATTESTED
Notary 5.6.17
Sanganer, Distt.-JAIPUR

प्रभात

रामफूल

क्रम संख्या 899 दिनांक 5-6-17

क्रेता का नाम मु-41 (पब्लिक स्कूल समिति

पिता का नाम सचिव - रामफूल

निवासी

स्टाम्प का मूल्य 500 लिये लीज डीड

* समाचरण शर्मा *

स्टाम्प विक्रेता, ला. नं. 12/91

तहसील परिसर, सांगानेर

Notary Public V.K. Sindhi Reg No. Exp.Dt.-24 Govt.

V.K. SINDHI Reg No.-846 Sanganer Govt. of Rajasthan

aner
Jaipur
of Rajasthan

Reg.No.-846
Exp.Dt.-24/06/2018
Sanganer
Jaipur
Govt. of Rajasthan

यह कि **ग्राम महापुरा**, पटवार हल्का महापुरा, अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्र में आराजी भूमि खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.3750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 4350.00 वर्गमीटर स्थित है।

यह कि प्रथमपक्ष व सहखातेदार द्वारा अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि सम्पूर्ण को संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने के सम्बन्ध में कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के यहां आवेदन कर अपने खातेदारी अधिकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) उपधारा (3) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के हक में समर्पित कर दिये है। तत्पश्चात् उक्त भूमि धारा 90-क, भू-राजस्व अधिनियम के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से मुताबिक निर्णय प्रकरण संख्या 169/13 दिनांक 27-08-2013 से संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिये रूपान्तरित की जा चुकी है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से दर्ज हुई। लेकिन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रथमपक्ष के निहित हित सुरक्षित है।

यह कि प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि पर एक भवन, जिसकी पैमाईश पूर्व-पश्चिम 71 फिट व उत्तर-दक्षिण 95 फिट पर स्कूल के मुताबिक बिल्डिंग का निर्माण करवा लिया है, जिसमें बिजली व पानी कनेक्शन मय फिटिंग के लगे हुये है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि व भवन का प्रथमपक्ष बिना किसी अन्य के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, काबिज, स्वामी है। जिसको प्रथमपक्ष ने आज से पूर्व अन्य किसी व्यक्ति या संस्था के हक में रहन, विक्रय, बख्शीश, दान, बैय आदि कर हस्तान्तरित नही की है और ना ही किसी अन्य से अनुबंध, करार, सौदा आदि किया है। उक्त वर्णित भूमि व भवन आज तक सभी प्रकार के भारो, बंधनो, झगड़ो, टंटो, कर्जा-कुर्की, अवासि आदि से पूर्णतया मुक्त व साफ है। जिसको हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक स्वयं को प्राप्त है।

यह कि द्वितीयपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि **खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.3750 हैक्टेयर में हिस्सा 1200/3750 सम्पूर्ण**

तथा खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.06 हैक्टेयर सम्पूर्ण, **इस प्रकार कुल सम्मिलित क्षेत्रफल 1800.00 वर्गमीटर** मय निर्मित भवन, बिजली व पानी कनेक्शन सहित को महाविद्यालय के लिये लीज पर लेने का प्रस्ताव प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक के समक्ष रखा। प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक ने द्वितीयपक्ष के आग्रह पर अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि कुल सम्मिलित क्षेत्रफल 1800.00 वर्गमीटर सम्पूर्ण मय निर्मित भवन, बिजली व पानी कनेक्शन आदि सहित को द्वितीयपक्ष को 20 वर्ष तक की अवधि के लिये लीज पर देने हेतु सहमत है इस सम्बन्ध में उभय पक्षकारन् के मध्य निम्न प्रकार शर्ते शरायतें तय हुई है कि जिनसे उभय पक्षकरान, उनके प्रतिनिधी, उत्तराधिकारी, वारिसान् आदि पूर्णरूप से पाबन्द रहेगे।

अतएवं यह दस्तावेज लीज प्रपत्र साक्ष्यांकित करता है कि :-

ATTESTED
क्रमशः 3

Notary 5.6.17
Sanganer, Distt. JAIPUR

प्रभात

nganer
Jaipur
t. of Rajasthan

Reg.No.-846
Exp.Dt.-24/06/2018
Sanganer
Jaipur
Govt. of Rajasthan

1. यह कि प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक ने अपनी उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.3750 हैक्टेयर में हिस्सा 1200/3750 सम्पूर्ण

तथा खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.06 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल सम्मिलित क्षेत्रफल 1800.00 वर्गमीटर सम्पूर्ण मय निर्मित भवन, बिजली व पानी कनेक्शन सहित स्थित ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को रूपये 18,000/- अक्षरे अठ्ारह हजार रूपये प्रतिमाह की दर से 20 वर्ष की अवधि के लिये महाविद्यालय चलाने हेतु द्वितीयपक्ष को लीज पर दे दी है।

2. यह कि प्रत्येक माह की लीज राशि द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक को प्रत्येक माह की एक से दस तारीख के बीच अदा कर देगा और द्वितीयपक्ष लीज राशि प्राप्ति की रसीद प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक से हस्ताक्षर कर प्राप्त कर लेगा।

3. यह कि द्वितीयपक्ष अपनी आवश्यतानुसार निर्मित भवन में सुधार कार्य कर सकेगा और भवन में फर्नीचर, लकड़ी की रेक्स लगा सकेगा, भवन में रंग-रोगन द्वितीयपक्ष अपने खर्चे ही आवश्यकता अनुसार करा सकेगा तथा इसमें प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक किसी प्रकार की कोई आपत्ति या ऐतराज नही करेगा और यदि भविष्य में द्वितीयपक्ष की आवश्यकतानुसार मंजिल-दर-मंजिल भवन का निर्माण कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिती प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा जिसमें किसी प्रकार की आना-कानी, वाद-विवाद, टालमटोल आदि नही करेगा।

4. यह कि लीजशुदा भूमि या इसके किसी भाग को द्वितीयपक्ष किसी भी अन्य को किसी भी प्रकार सबलेट या पार्टविद पजेशन या असाईन नहीं करेगा।

5. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त वर्णित भूमि व भवन में शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर सकेगा।

6. यह कि द्वितीयपक्ष बिजली व पानी का बिल की राशि का नियमित रूप से यथा समय विद्युत विभाग को भुगतान करता रहेगा। लेकिन राज्य सरकार के कर जैसे लगान इत्यादि प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक स्वयं अदा करेगा।

7. यह कि प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक स्वयं या उनके वारिसान् लीजशुदा भूमि व भवन में आकर द्वितीयपक्ष स्वयं या द्वितीयपक्ष के अन्य पदाधिकारियों से किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद, झगड़ा-टंटा आदि नही करेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा।

8. यह कि लीज अवधि दिनांक 01 जून 2017 से प्रारम्भ समझी जावेगी। लीज अवधि पक्षकारान् के मध्य 20 वर्ष की तय हुई है। उक्त लीजशुदा भूमि का कब्जा प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक ने द्वितीयपक्ष किरायेदार को पूर्व में ही सम्भला दिया है।

9. यह कि उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति की साफ-सफाई व मेन्टीनेन्स की राशि द्वितीयपक्ष किरायेदार स्वयं वहन करेगा।

10. यह कि द्वितीयपक्ष लीज अवधि समाप्त होते ही प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित भूमि व भवन का कब्जा उसी के अनुरूप देने को बाध्य होगा कि जिस हालत में प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को भूमि व भवन का कब्जा सम्भलाया था।

क्रमशः 4

ATTESTED
Notary 5.6.17
Sanganer, Distt.-JAIPUR

प्रभात

रामफूल

Notary Public
नोटरी पब्लिक
राजस्थान सरकार
V.K.SINDHI
Reg.No.-846
Exp.Dt.-24/06/2018
Sanganer
Jaipur
Govt. of Rajasthan

11. यह कि द्वितीयपक्ष किरायेदार किरायेशुदा परिसर को महाविद्यालय संचालन करने के उपयोग के प्रयोग में ले सकेगा। द्वितीयपक्ष किरायेदार किरायेशुदा परिसर को उपरोक्त कार्य के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं ले सकेगा, ना ही परिसर में ऐसा कोई कार्य करेगा जो कि आस-पड़ौस वालों को अथवा द्वितीयपक्ष न्यूसेंसप्रद हो या अन्य किसी भी प्रकार के न्यूसेन्स क्रियेट करें। यदि किरायेशुदा परिसर में किसी भी प्रकार आग इत्यादि लग जाती है तथा उससे किरायेशुदा परिसर को नुकसान हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष किरायेदार की होगी।

12. यह कि पक्षकारान् ने यह लीज डीड इस तथ्य को भली प्रकार समझकर निष्पादित की है तथा पक्षकारान् के सम्बन्ध सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार वर्तमान में संचालित होते है व भविष्य में संचालित होते रहेगें।

13. यह कि यदि द्वितीयपक्ष किरायेदार किसी भी प्रकार तय शुदा शर्तो का अथवा कानून का उल्लघंन करता है तो द्वितीयपक्ष किरायेदार को कानून अनुसार उसके परिणाम भुगतने होगें।

अत: यह लीज प्रपत्र प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी व्यक्ति के दबाव या आग्रह के स्वेच्छा से स्टाम्प एक कीमती 500 /= रूपयें व तीन ग्रीन पेपरों कुल किता चार पर साक्ष्य स्वरूप लेख्य करवा दिया है और वर्णित ईबारत को भली प्रकार से पढ़-पढ़ाकर, सुन व समझकर, सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निम्न दो गवाहान् की उपस्थिति में कर दिये की प्रमाण रहे एवं आवश्यकता के समय काम आवे। इति। लेख्य दिनांक ..... जून सन् 2017 ईस्वी।

प्रभात

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष सम्पत्ति मालिक

Identified by

गवाहान् :-

1. हस्ताक्षर

नाम:

पिता का नाम:

पता :

रामफूल

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष किरायेदार

2. हस्ताक्षर

नाम:

पिता का नाम:

पता :

ATTESTED

Notary 5.6.17

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 169 और वर्ष 2013

प्रभातीलाल पुत्र सुन्दर जाति जाट सा.देह., सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति जरिये सचिव रामफूल चौधरी पुत्र श्री प्रभातीलाल चौधरी निवासी–ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर

..... आवेदक

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 27/8/13

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्ट. में	स्वामित्व
तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	ग्राम महापुरा	1100	0.3750	प्रभातीलाल पुत्र सुन्दर हि. 1200/3750 जाति जाट सा.देह., सुन्दर पब्लिक स्कूल समिति जरिये सचिव रामफूल चौधरी पुत्र श्री प्रभातीलाल चौधरी हि. 2550/3750 निवासी–ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर
		1118	0.06	प्रभातीलाल पुत्र सुन्दर जाति जाट सा. देह.
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.4350 हैक्ट.	

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.न. 1100 रकबा 0.3750 हैक्ट. ख.नं. 1118 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.4350 हैक्ट. में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27/8/13 को पारित किया गया।

(संजय जैन)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–11/2013 3784
दिनांक जयपुर 27/8/13

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन क्रमांक 178265 दिनांक 24.7.13 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(संजय जैन)